

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in
सं०:-राज/पाली -47/चूनापत्थर-05

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202
दिनांक.

प्रेषित मै निरमा लिमिटेड
निरमा हाउस, आश्रम रोड
अहमदाबाद 380009

विषय: राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित आपकी डिगराना चूनापत्थर खान क्षेत्रफल 100.0 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 27.07.2017 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
26 (2)	पट्टाधारी/ऐजेन्ट/प्रबन्धक या खनि अभियन्ता को प्रत्येक वर्ष की एक जुलाई तक यह जानकारी देनी है कि खान में प्रोग्रेसीव खनन बन्द योजना के प्रस्तावों के अनुसार रक्षित एवं पुनःस्थापित कार्य (Protective & rehabilitative works) किस प्रकार/अनुपात में किये जा रहे हैं तथा यदि कोई विचलन आ रहा हो, तो उसका कारण क्या है। परन्तु आपके द्वारा नियम 26(2) की अनुपालना के लिये 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
48	प्रत्येक खनन पट्टा धारी को खनन पट्टा क्षेत्र में किये गये सभी बोर होल का रिकार्ड फार्म "J" में रखना है लेकिन निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि सम्बंधित रिकार्ड फार्म "J" में नहीं रखा गया है

- इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(दाता राम गुर्जर)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सीटी को सूचनार्थ प्रेषित।

(दाता राम गुर्जर)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो